# No. TCP-A(3)-1/2015 Govt. of Himachal Pradesh Town and Country Planning Department

To

The Secretary, H.P. Vidhan Sabha, Shimla-171004.

Dated, Shimla-2,

2016.

Subject:

Introduction of 'H.P. Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2016.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the 'H.P. Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2016 in the Legislative Assembly.

The aforesaid Bill is to replace the 'Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016.

I, therefore, request you to obtain the permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the session in relaxation of relevant rules. Three authenticated copies of the aforesaid Bill are also enclosed herewith.

Yours faithfully,

(Sudhir Sharma) UD/TCP Minister

2016 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेष नगर और ग्राम योजना (संषोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

# हिमाचल प्रदेष नगर और ग्राम योजना (संषोधन) विधेयक, 2016

# खण्डों का क्रम

#### खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि।
- 2. नई धारा 30—ख का अन्तःस्थापन।
- 3. परिशिष्ट-I का अन्तःस्थापन।
- 4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेष नगर और ग्राम योजना (संषोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुर स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्तनाम हिमाचल प्रदेश नगर और संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्राप्तम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
  - (2) यह 15 जून, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- (3) यह अधिनियम इसके प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए प्रवृत्त रहेगा।
- 2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे  $^{\eta\xi}$  धार इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 30—क के पश्चात्  $^{30-ख}$  क निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :——

"30—ख. कितपय भूमि या भवनों के विकास की बाबत छूट.—(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या निदेशक की शिक्तयों से निहित कोई अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी के विकास को, ऐसे विस्तार तक और ऐसी नियमितीकरण फीस के संदाय पर, जो उपधारा (8) में यथा विनिर्दिष्ट है, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम से छूट दे सकेगा।

20

5

10

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर परिशिष्ट-I में किया जाएगा जिसे विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट "www.tcphp.in" से भी डाऊनलोड किया जा सकता है और इसे एक हजार रुपए की फीस सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसका निपटारा इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

5

10

15

20

25

30

- (3) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात् भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी।
- (4) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है।
- (5) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। उपधारा (2) के अधीन नियत एक वर्ष की शर्त अपील के मामलों में लागू नहीं होगी और ऐसी अपीलें, इनके फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।
- (6) इस धारा के अधीन फीस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभारित की जाएगी और इसे सुसंगत लेखा शीर्ष में ट्रेजरी चालान या ई—चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा और शहरी स्थानीय निकाय या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की दशा में फीस, ऐसे निकायों द्वारा मांगदेय ड्राफ्ट या ऑन लाइन संदाय के माध्यम से प्रभारित की जाएगी।
- (7) उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने से पूर्व, निम्नलिखित दिशानिर्देश और सिद्धान्त इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात् :—
  - (क) भवनों को ''जहां हैं जैसे हैं'' के आधार पर नियमित किया जाएगाः

परन्तु नियमित किए जाने वाले भवन के लिए, अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर का संरचनात्मक मजबूती प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा; 5

10

15

20

25

- (ख) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित अंतरिम विकास योजनाओं या विकास योजनाओं के अधीन यथा परिभाषित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में विचलनों और अनिधकृत सन्निर्माणों की बाबत नियमितीकरण के लिए कोई छूट नहीं होगी:
- (ग) अंतरिम विकास योजनाओं (आई०डी०पीज़०) या विकास योजनाओं (डी०पीज़०) में यथा अंकित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में हुए उन विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों को ही नियमित किया जाएगा जो ऐसे क्षेत्रों के अंकन की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) से पूर्व किए गए हैं;
- (घ) ऐसे भवनों के लिए भी छूट प्रदान की जाएगी जो सड़क स्तर से ऊपर सन्निर्मित किए गए हैं;
- (ङ) हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कॉलोनियों, जहां ऐसी कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकायों (यू०एल०बीज०) द्वारा अनुरक्षित और प्रशासित हैं, में व्यष्टियों के स्वामित्वाधीन भूमि या भवनों में किए गए विकासों को भी छूट देने के लिए विचार किया जाएगा;
- (च) अनुज्ञा के बिना या अनुमोदित प्लान से विचलन कर किए गए विकास या सन्निर्माणों को यदि इस धारा के अधीन छूट नहीं दी जाती है तो सेवाओं से वियोजन का और तोड़े जाने का सामना करना पड़ेगा:
- (छ) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस धारा के अधीन छूट दिए जाने वाले और नियमित किए जाने वाले भवनों की छत, भविष्य में और उर्ध्व सन्निर्माण के लिए पूर्ण रूप से अनुपयोगी रखी गई है;
- (ज) सक्षम प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा भूमि के उप—खण्ड के किसी अनुमोदित नक्शे (मैप) में पार्कों, मलवहन या किसी अन्य प्रसुविधा के लिए रखे गए क्षेत्र या खण्डों (पॉकेटस) में किए गए अनिधकृत सन्निर्माणों को नियमित नहीं किया जाएगा;
- (झ) अनुमोदित प्लान के अनुसार पार्किंग मंजिल (मंजिलों) को यदि किसी अन्य उपयोग जैसे आवास या दुकान आदि में सम्परिवर्तित

किया गया है तो उसे / उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा परन्तु यदि उसके समान या उससे अधिक वैकल्पिक पार्किंग स्थान उपलब्ध है तो अन्य उपयोग (उपयोगों) के लिए इस प्रकार सम्परिवर्तित पार्किंग मंजिल (मंजिलों) पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा:

परन्तु ऐसे मामले जहां विद्यमान सड़क स्तर अनुमोदित पार्किंग मंजिल से संसक्त नहीं है और इसके अतिरिक्त अनुमोदित पार्किंग मंजिल को जाने के लिए सड़क के सन्निर्माण की भी कोई संभावना नहीं है तो उन पर भी नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा; 5

10

15

20

25

- (ञ) यदि स्वामी ने सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या संस्था अथवा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण किया है तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;
- (ट) यदि भूमि विकास योजनाओं में यथा अंकित उच्चतम बाढ़ स्तर (एच०एफ०एल०) से निम्न है, तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;
- (ठ) अपार्टमैण्टों, फ्लैटों या स्लैबों की दशा में उनके व्यष्टिक स्वामी नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे; और
- (ड) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबन्ध उस समय लागू नहीं थे, जब भवनों का सन्निर्माण किया गया था, में रहने वाले लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है:

परन्तु यदि ऐसी कोई अस्पष्टता है कि क्या किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन छूट है या छूट नहीं है तो वह इसके लिए दस्तावेजों, यदि कोई हैं, सहित सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन या अन्यथा आवेदन कर सकेगा जो उसके आवेदन पर समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण 30 फीस नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रभारित की जाएगी :-

सारणी

(अ) आवासीय भवनों के लिए :--

	(अ) आ	निर्वासिय नेपना के लिए :-					
	क्रम	विवरण		दरें	टिप्पणियां		
	संख्या						
5			नगरपालिका क्षेत्र	नगरपालिका से			
				बाहर का क्षेत्र			
	1.	जहां विकास के	800 / - रुपए	400 / — रुपए	(i) नियमितीकरण फीस, विचलन		
		लिए अनुज्ञा ली	प्रति वर्गमीटर	प्रति वर्गमीटर	किए गए क्षेत्र अर्थात् सैट		
		गई है किन्तु सैट	की दर से	की दर से	बैकों और अनधिकृत मंजिलों,		
10		बैकों या मजिलों			जो स्वीकृत योजना के		
		या दोनों में			अतिरिक्त हैं, पर प्रभारित		
		विचलन किए गए			की जाएगी।		
		हें			(ii) विचलनों की संगणना के प्रयोजन		
					के लिए उन विनियमों जो सैट		
15					बैकों, मंजिलों की संख्या / फर्श		
					क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर.) के		
					सम्बन्ध में मूल या संशोधित या		
					प्रतिधारित नक्शे के अनुमोदन		
					के समय लागू थे, को विचार में		
20					लिया जाएगा।		
	2.	जहां विकास के	1200 / — रुपए	600 / — रूपए	विचलनों की संगणना के प्रयोजन		
		लिए अनुज्ञा नहीं	प्रति वर्गमीटर	प्रति वर्गमीटर	के लिए भवन के सम्पूर्ण निर्मित		
		ली गई है अर्थात्	की दर से	की दर से	क्षेत्र को विचार में लिया जाएगा।		
		सम्पूर्ण अनधिकृत			· ·		
25		सन्निर्माण					

(आ) इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस में वाणिज्यिक, होटल या पर्यटन या औद्योगिक या अन्य उपयोगों के लिए शत—प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस, गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) के वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई०डब्ल्यूएस०) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए पचास प्रतिशत कम की जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई अन्य फीस, जैसे भूमि के विकास, निर्माण संक्रिया, विद्यमान भवन उपयोग में परिवर्तन और भू—उपयोग में परिवर्तन आदि के लिए, प्रभारित नहीं की जाएगी।"।

6 परिशिष्ट-1 का 3. मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट-I अन्तःस्थापन। अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

# ''परिषिष्ट-I

विचलनों और अनिधेकृत सन्निमीणों / विकास के प्रश	मन हेतु आवेदन का प्ररूप	
संख्या त	गरीख	5
सेवा में,		
महोदय,		10
मैं / हम खसरा नम्बरखाता / र	वतौनी	
रकबा वर्गमीटर मौजा परग	ाना	
तहसील जिला हिम		
किए गए विचलनों / अनिधकृत सन्निर्माणों / विकास	• ,	
आवेदन करता हूँ / करते हैं। मेरा / हमारा मूल / संशे		
संख्या द्वारा र	•	15
कोई नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो काट	दें)।	
(क) किए गए विचलनों / अनिधकृत सन्निर्माणों / हैं :	विकास के ब्यौरे निम्नलिखित	
(I) क्षेत्र की अनुसूची :		
(i) निर्मित क्षेत्र	वर्गमीटर	20
(ii) खुला क्षेत्र	वर्गमीटर	
(iii) कुल प्लॉट क्षेत्र	ःवर्गमीटर	
(II) खुले स्थानों की अनुसूची :		
(i) सामने वाला सैट बैक	:मीटर	
(ii) बाईं ओर का सैट बैक	:मीटर	25
(iii) दाईं ओर का सैट बैक	:मीटर	
(iv) पीछे की ओर का सैट बैक	:मीटर	

(III) सैट बैकों में विचलन (मंजिल वार):

5

10

15

20

25

 (i) धरातल मंजिल
 = वर्गमीटर

 (ii) पहली मंजिल
 = वर्गमीटर

 (iii) दूसरी मंजिल
 = वर्गमीटर

 (iv) तीसरी मंजिल
 = वर्गमीटर

 (v) चौथी मंजिल
 = वर्गमीटर

 (vi) पांचवीं मंजिल
 = वर्गमीटर

वर्गमीटर

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाते हैं :--

(vii) ..... मंजिल

- (i) 1:1000 के पैमाने में अवस्थिति रेखांक (लोकेशन प्लान) के दो सैट;
- (ii) 1: 200 के पैमाने में स्थल रेखांक (साइट प्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तर्गत स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल—निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल—निकास भी दर्शाता हो;
- (iii) विद्यमान भवन के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र (ड्राइंग) के दो सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास—सैक्शनों और 1:100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाईयों (एलवेशनज) के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र (ड्राइंगज) कार्यशील रेखाचित्रों (ड्राइंगज) के रूप में हों जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश (ओपनिंग्ज), दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब आदि दर्शाते हैं;
- (iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हों और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दर्शाते हों:
- (v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति;
- (vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो;
- (vii) अर्हित संरचना इंजीनियर से संरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र की एक प्रति;

#### (viii)इस प्रभाव का शपथपत्र,-

- (क) कि भवन का सिन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण नहीं किया गया है;
- (ख) कि आवेदक ने सड़कों की नियन्त्रित चौड़ाई पर सिन्नामीण नहीं किया है या वह सड़क भवन के सिन्नामीण के पश्चात् राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य उच्च मार्ग/जिला सड़क के रूप में अधिसूचित की गई थी;

5

10

l'' l

- (ग) कि प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से कोई वाद लम्बित नहीं है; और
- (घ) कि आवेदक को किन्हीं नागरिक प्रसुविधाओं को बिछाने की बाबत कोई ओक्षप नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि	प्लान श्री / श्रीमती / मैसर्ज	
(रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् /	योजनाकार/अभियन्ता/प्रारूपकार का	
गम और पता) द्वारा तैयार किए गए हैं जिसव	की रजिस्ट्रीकरण संख्या  तारीख	15
है और संरचानात्मक मज	बूती प्रमाण–पत्र श्री / श्रीमती / मैसर्ज	
(अर्हित संरचनात्मक इंजी	नियर का नाम और पता) द्वारा जारी	
केया गया है।		
पंलग्नक : यथोपरि।		
	भवदीय,	20
	नाम	
	पता	
	दरभाष नम्बर	

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन निरसन और की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की व्यावृत्तियां। गई समझी जाएगी।
  - (3) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन, विचलनों और अनिधकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए प्राप्त समस्त आवेदन इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किए गए समझे जाएंगे।

### उद्देष्यों और कारणों का कथन

सरकार ने समय-समय पर रिटैन्शन पॉलिसियों / दिशा-निर्देशों को लाकर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों का उल्लंघन कर बनाए गए अनिधकृत सिन्मिणों के नियमितीकरण के मृद्दे के समाधान का प्रयास किया है। तथापि, ऐसी रिटैन्शन पॉलिसियां / दिशा-निर्देश अपराधों के परिमाण (जटिलता) की तुलना में ऐसी पॉलिसियों के सीमित विस्तार और क्षेत्र के कारण, अनधिकृत सन्निर्माण की समस्या के निराकरण के लिए प्रभावी तन्त्र साबित नहीं हुए हैं। उक्त रिटैन्शन पॉलिसियों / दिशा-निर्देशों के अधीन अनधिकृत सन्निर्माण के कुल 8198 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2108 मामले प्रतिधारित (रिटेन) किए गए थे और शेष 6090 मामलों को अभी भी नियमित किया जाना है। इस समय, अधिसुचित योजना और विशेष क्षेत्रों में मार्च, 2016 तक लगभग 13,000 अनधिकृत भवन हैं। इतनी बडी संख्या में अनधिकृत सन्निर्माणों का गिराया जाना न तो व्यवहार्य (साध्य) है और न ही वांछनीय है क्योंकि इससे स्वामियों और अधिभोगियों को अनावश्यक कठिनाई होगी। दुसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय ने इस विकट स्थिति का कडा संज्ञान लिया है और सी०डब्ल्यू०पी०संख्याः 673 ऑफ 2005 नामतः ठाकुर सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ एच०पी० में तारीख 7-8-2009 के अपने निर्णय / आदेश में निदेश दिए हैं कि राज्य सरकार समस्त अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित करने की अनुज्ञा देने के लिए कोई रिटैंशन पॉलिसी न बनाए। इस पर और देश के अन्य महानगरीय शहरों में अतिक्रमण वाले सन्निर्माणों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया पर विचार करते हुए, इस प्रकार बड़े स्तर पर अनधिकृत सन्निर्माणों को गिराए जाने, जो अनेक कारणों से न तो साध्य है और न ही व्यावहारिक है, के बजाए भयोपरापी प्रशमन फीस प्रभारित करके अपराधों के शमन हेत् एक ही बार के लिए विशेष उपबन्ध किया जाना अधिक समुचित समझा गया है।

इसलिए उपर्युक्त कथित तथ्यों और आंकड़ों के दृष्टिगत और अन्य राज्यों द्वारा इस ज्वलन्त समस्या से निजात पाने के लिए उठाए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसलिए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एलएलआर—डी (6)—14/2016—लैजि तारीख 08 जून, 2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 08 जून, 2016 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को, विधेयक के खण्ड 2 के उप खण्ड (7) के अधीन विनिर्दिष्ट दिशा—निर्देशों और सिद्धान्तों में तथा उप खण्ड (8) के अधीन विनिर्दिष्ट अनधिकृत सिन्नार्माण के नियमितीकरण के स्वरूप और फीस संरचना में कुछ उपान्तरणों के साथ, एक नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

# यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को कुछ उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

		(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री
शिमला : तारीख :, 2016		
	वित्तीय ज्ञापन	
	–शून्य–	
प्रत्यायोजि	नत विधान सम्बन्धी ज्ञापन	

–शून्य–

# हिमाचल प्रदेष नगर और ग्राम योजना (संषोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (19 का और संशोधन करने के लिए विधेयक।	77 का अधिनियम संख्यांक 12)
	(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री।
(डॉ० बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।	
शिमला :	
तारीख: 2016	

### **AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

BILL NO. 14 OF 2016

# THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

# THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2016

#### ARRANGEMENT OF CLAUSES

#### Clauses:

- 1. Short title, commencement and duration.
- 2. Insertion of new section 30-B.
- 3. Insertion of Appendix-I.
- 4. Repeal of Ordinance No. 1 of 2016 and savings.

# THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY **PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2016**

(As Introduced in the Legislative Assembly)

Α

#### **BILL**

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and short title, commence-Country Planning (Amendment) Act, 2016. ment and duration.

5

- (2) It shall be deemed to have come into force on 15<sup>th</sup> day of June, 2016.
- (3) This Act shall remain in force for a period of one year from the date of its publication.

After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Insertion of Planning Act, 1977 (herein after referred to as "the principal new section 30-B. Act"), the following section shall be inserted, namely:—

15

10

"30-B. Exemption in respect of development of certain lands or buildings.—(1) Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any other law for the time being in force, the Government or any Officer or Authority, vested with the powers of Director, may, on application, by order, exempt development on any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of this

Act from all or any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any rule or regulation made thereunder upto such extent and on payment of such regularization fee as specified under sub-section (8).

(2) The application under sub-section (1) shall be made within sixty days from the date of publication of this Act in the Official Gazette in Appendix-I, which can also be downloaded from the official website "www.tcphp.in" of the Department and may be submitted alongwith fee of one thousand rupees which shall be disposed of within a period of one year from the date of publication of this Act.

5

- (3) After passing of order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted for such development of land or building.
- (4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub-section (1).
- (5) Any person aggrieved by any order passed under sub-section
  (1) by any Officer or Authority may, prefer an appeal to the Appellate
  Authority within thirty days from the date of receipt of order. The condition of one year stipulated under sub-section (2) shall not apply in appeals and such appeals shall be decided by the Appellate
  Authority within a period of six months from the date of filing thereof.
- (6) The fee under this section shall be charged and deposited by the Competent Authority through Treasury Challan or e-Challan in the relevant Head of Account, and in case of Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities, the fee shall be charged by way of Demand Draft or online payment by such Bodies.
- (7) Before grant of exemption under sub-section (1), the following guidelines and principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:—
- (a) the buildings shall be regularized on the basis of "as is where is":

Provided that a structural stability certificate shall be submitted by the applicant for the building to be regularized from the qualified Structural Engineer;

- (b) there shall be no exemption for regularization in respect of deviations and un-authorized constructions in the Green Area and Heritage Area as defined under Interim Development Plans or Development Plans as notified by the State Government
- (c) deviations and un-authorized constructions falling in Green Area

from time to time:

and Heritage Area as delineated in the Interim Development Plans (IDPs) or Development Plans (DPs) shall be regularized which have taken place prior to the notification (s) of delineation of such areas;

- (d) the exemptions shall also be granted for such buildings which have been constructed above the road level;
- (e) developments carried out in lands or buildings owned by individuals in Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) Colonies, where such Colonies are maintained and administered by the Urban Local Bodies (ULBs), shall be considered for exemption;
- (f) developments or constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this section, shall face disconnection of services and demolition;
- (g) the competent authority shall ensure that the roof of buildings to be exempted and regularized under this section is rendered totally ineffective for further vertical construction in future;
- (h) un-authorized constructions carried out on the area and pockets kept for parks, sewerage or any other facility in any approved map of sub-division of land by the competent authorities shall not be regularized;

5

10

15

20

25

parking floor(s) as per approved plan, if converted to any other (i) use like residence or shop etc. shall not be regularized but in case, alternative equivalent or more parking space is available then, parking floor(s) so converted into other use(s) shall be considered for regularization: 5

Provided that such cases where existing road level is not abutting from approved parking floor and further there is no feasibility of construction of road leading to approved parking floor may be considered for regularization:

- no exemption shall be allowed in case the owner has 10 (i) encroached upon any land owned by the Government or Local Authority or Board or Corporation or Institution or any Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act. 1977 or other person's land:
- (k) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest 15 Flood Level (HFL) as delineated in the Development Plans;
- in case of apartments, flats or slabs, the individual (l) owner may apply for regularization; and
- (m) the people residing in the areas where provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or the Himachal 20 Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 were not in force at the time when the buildings were constructed need not to apply:

Provided that if there is any ambiguity as to whether any person is exempted or not under this section, he may make an 25 application alongwith documents, if any, to the Competent Authority online or otherwise, who shall pass appropriate order on his application.

(8) The regularization fee for regularization of deviations and unauthorized constructions shall be charged as per Table given below:—

5 **TABLE** 

#### (A) For Residential buildings:—

	SI. No	. Description	Rates	;	Remarks
			Municipal Area	Outside	
5				Municipal Area	
10	1.	Where permission has been taken for development but deviations on set backs or	@ Rs. 800/- per M <sup>2</sup>	@ Rs. 400/- per M <sup>2</sup>	(i) Regularization Fee shall be charged on the deviated area i.e. on set backs and un-authorized storeys which is beyond sanctioned plan.
		storeys or in both have been made.			(ii) For the purpose of calculation of deviations, the Regulations i.e. set backs, number of storeys/Floor Area
15					Ratio (FAR) as were applicable at the time of approval of original or revised or retained map shall be taken into consideration.
20	2.	Where permission has not been taken for development i.e. total un- authorized		@ Rs. 600/- per M <sup>2</sup>	For the purpose of calculation of deviations, the total built up area of the building shall be taken into consideration.
25		construction.			

(B) The regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be increased by 100% for Commercial, Hotel, Tourism, Industrial or other Uses:

Provided that the regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be decreased by 50% for the persons falling under the categories of Below Poverty Line (BPL) 30 and Economically Weaker Sections (EWS) of the society:

Provided further that no other fee shall be charged like Development of land, Building Operation, Change of Existing Building Use and Change of Land Use etc..

Insertion of Appendix-I.

Shall be inserted, namely:—

6

Appendix-I.

6

Appendix-I.

"APPENDIX-I

	TION FORM FOR COMPOSIT -AUTHORISED CONSTRUCTI		5
No		Dated	
То	The		10
Sir/Madar	n,		
construction NoKha Mauza District map was	Te hereby apply for composition ins/developments having carried ata/Khatauni Nomeasuring the Pargana	out on land bearing Khasra ngM <sup>2</sup> situated at sil /our original/revised/retained	15
	etails of deviations/unauthorized co	onstructions/developments	20
(1)	Schedule of Area: (i) Built up Area (ii) Open area (iii) Total Plot Area	= M2 $= M2$ $= M2$	
(II)	Schedule of Open Spaces:  (i) Front Set Back  (ii) Left Side Set Back  (iii) Right Side Set Back  (iv) Rear Set Back		25

(III) Deviations in the Set Backs (Storey wise):

(i)	<b>Ground Storey</b>	$= M^2$
(ii)	First Storey	$= M^2$
(iii)	Second Storey	$= M^2$
(iv)	Third Storey	$= M^2$
(v)	Fourth Storey	$= M^2$
(vi)	Fifth Storey	$= M^2$
(vii)	Storey	$= M^2$

5

15

20

- (b) The following documents are enclosed herewith:—
- 10 (i) two sets of Location Plan in the scale of 1:1000;
  - two sets of Site Plan in the scale of 1:200, clearly showing the building within Tatima dimensions and also showing all drainage lines, sewerage connection or location of septic tank, soak pit, rain water harvesting tank, solar passive arrangement and house drainage;
  - (iii) two sets of detailed architectural drawings of the existing building showing each storey with two cross-sections and two elevations of the building in the scale of 1:100. These drawings are in the form of working drawing showing all the dimensions of rooms, openings, thickness of wall, floor and slab etc.;
  - (iv) two sets of photographs taken from all sides of the building, clearly showing the number of storeys;
  - (v) one copy of latest original Jamabandi;
  - (vi) one copy of original Tatima showing dimensions of plot and width of access to the plot;
  - (vii) one copy of Structural Stability Certificate from a qualified Structural Engineer;
  - (viii) affidavit to the effect that building has been constructed,—

(a)	on own land and has n Government or other person		ched	upon	any	
(b)	that applicant has not raised consof roads or that the road was notified.	ed as the Nat	ional Hi	ghway/		5
(c)	State Highway/District Road after that there is no pending liting building in question with any	gation in re	spect	of lan	d or	J
(d)	that the applicant will not obj	ect for layin	ig of ai	ny civid	c amenitie	S.
Engin	Certified that the Plans have(Name and address neer/Draughtsman), having Refand the Structural Stability Ce	of the Regis	stered	Archite	ct/ Planne	r/ 10
	Ms(Name and a			-		
Enclos	sures : As above.					15
	Α	lame ddress Phone No e-mail"				20
	4. (1) The Himachal Pradesh	n Town and	Count	ry		

Repeal of Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2016 and savings.

- **4.** (1) The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
- (3) All applications for regularization of deviations and un-authorized constructions received under the Ordinance so repealed under sub-section (1) shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of this Act.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government has tried to address the issue of regularization of un-authorized constructions raised in contravention of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) by bringing Retention Polices/ Guidelines from time to time. However, such Retention Policies/Guidelines have not proved to be an effective mechanism to weed out problem of un-authorized constructions on account of limited extent and scope of such polices in comparison to the magnitude of offences. Under the said Retention Polices/Guidelines, total 8,198 cases of un-authorized construction were received, out of which 2,108 cases were retained and remaining 6,090 cases are yet to be regularized. At the moment, there are about 13,000 un-authorized buildings upto March, 2016 in the notified Planning and Special Areas. Demolition of such a large number of un-authorized constructions is neither feasible nor desirable as it will result in undue hardship to the owners and occupants. On the other hand, the Hon'ble High Court has taken serious view of this grim situation, and in its judgment/order dated 7-8-2009 in CWP No. 673 of 2005 titled as Thakur Singh V/s State of H.P. has directed that the State Government shall desist from making any retention policy permitting the regularization of total unauthorized construction. Considering this and the practice followed in other metropolitan cities of the Country to deal with violated constructions, it has been considered more appropriate to make a special one time provision for composition of offences by charging deterrent composition fee instead of demolition of large scale un-authorized constructions which is neither feasible nor practicable for many reasons. Thus, in view of above stated facts and figures and after taking into consideration measures taken by the other States to deal with this burning problem, it was decided to make a special provision in the Act ibid.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the H.P. Town and Country Planning Act, 1977 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016) vide Notification No.LLR-D(6)-14/2016-Leg. dated 8<sup>th</sup> June, 2016 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 8-6-2016. Now, the said Ordinance is being repealed by a regular legislation with some modifications in guidelines and principles specified under sub-clause (7) and nature and fee structure for regularization of unauthorized construction specified under sub-clause (8) of clause 2 of the Bill.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with some modifications.

(SUDHIR SHARMA)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:	
Dated	2016

# FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—	

# **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

—NIL—

# THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2016

Α

#### **BILL**

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

(SUDHIR SHARMA)

Minister-in-Charge.

### (Dr. BALDEV SINGH)

Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The....., 2016.